



बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
Rohtas, Rohtas
दाखिल-खारिज शुद्धि-पत्र

न्यायालय अंचल अधिकारी- Ashu Ranjan , अंचल- Rohtas , जिला- Rohtas ,
हलका- सम्हुता , राजस्व ग्राम- KALYANPUR , राजस्व थाना संख्या- 611 , दाखिल
-खारिज वाद संख्या एवं वर्ष- 439/2021 - 2022 में अंचलाधिकारी के आदेश के
उपरान्त निम्नलिखित भूमि खारिज की जानी है:

वाद के निष्पादन के उपरांत खारिज को जाने वाली भूमि का विवरण					
जमाबंदी रैयत का विवरण	वर्तमान भाग संख्या	पेज संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
RAJBALI SINGH, RAJVANSH SINGH, पिता/बाप/अबू -GANESH SINGH, जाति- राजपुत, पत्ता-VILL-SAMAHUTA POST- BANJARI P.S-ROHTAS DIST-ROHTAS BIHAR वो GANESH SINGH, MAHESH SINGH, पिता/बाप/अबू -DWARIKA SINGH, जाति-राजपुत, पत्ता-VILL- SAMAHUTA POST-BANJARI P.S- ROHTAS DIST-ROHTAS BIHAR	3	258	43	25	96.75 डिसमील

अंचलाधिकारी के आदेश के उपरान्त खारिज की गयी भूमि नया जमाबंदी भाग संख्या-
5 , एवं पृष्ठ संख्या- 18 पर संधारित की गयी है। नयी जमाबंदी के रैयत तथा भूमि का
विवरण निम्नलिखित है:

वाद के निष्पादन के उपरांत दाखिल को जाने वाली भूमि का विवरण					
नए जमाबंदी रैयत का विवरण	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहद्दी	भू- लगान

वाद के निष्पादन के उपरांत दाखिल को जाने वाली भूमि का विवरण

(उदय सिंह वो मुन्ना सिंह वो उमेश सिंह पिता/बाप/अबू -राजबली सिंह वो राजवंश सिंह वो शैन कुमार सिंह , ????-राजपुत, ???-VILL- SAMAHUTA POST- BANJARI P.S- ROHTAS DIST- ROHTAS BIHAR)	43	25	96.75 डिसमील	पूरबNEEJ पश्चिमROAD उत्तरRAMBRIKSH RAM VO दक्षिणNEEJ	10
--	----	----	-----------------	---	----

Approved By : Ashu Ranjan

अंचल अधिकारी

Rohtas



CONTINUOUS KHATIAN

नैजा
पुलिस थाना

राष्ट्रवास
५११

रेवन्थू थाना ६१६११५

मालीक का नाम ...
यदि शिकमी खतिया-

सरक
ना नं०

खलदार
न महत

और हो

र कोई

खतियान का सिलसिलेवार नम्बर	आसामी का नाम वलियत सकूनत और जात	जति		जमीन किसम	रकबा		कैफियत	लगान विस्तार
		खेसरा नम्बर	चौहदी		ए० डी०	हेक्टर		
1		3	4	5	6	7	8	
83	राजकुमार सिंह	24	राजकुमार सिंह	जमीन	9.25	2230	अविभाजित	
	राजकुमार सिंह	924	राजकुमार सिंह	जमीन	42	2248		
	राजकुमार सिंह	920	राजकुमार सिंह	जमीन	42	2242		
	राजकुमार सिंह	922	राजकुमार सिंह	जमीन	46	2279		
	राजकुमार सिंह	725	राजकुमार सिंह	जमीन	96	2222		
	राजकुमार सिंह	270	राजकुमार सिंह	जमीन	40	2023		
	राजकुमार सिंह	934	राजकुमार सिंह	जमीन	46	2279		
	राजकुमार सिंह	964	राजकुमार सिंह	जमीन	43	2112		

प्रमाणित किया जाता है कि
किसी व्यक्ति का नाम फारम नं. १
स्वातंत्र्य फारम के अन्तर्गत
दिया गया ... १००

4/2 29.4

[illegible]

आदर्श ग्राम पंचायत समझुता

विजेन्द्र राम

मुखिया

ग्राम- आदर्श ग्राम पंचायत समझुता

मो० नं०- 9199133025

निवास स्थान

ग्राम- आदर्श ग्राम समझुता

पोस्ट- बनजारी, जिला- रोहतास

प्रखण्ड- रोहतास (बिहार) पिन नं०-821303

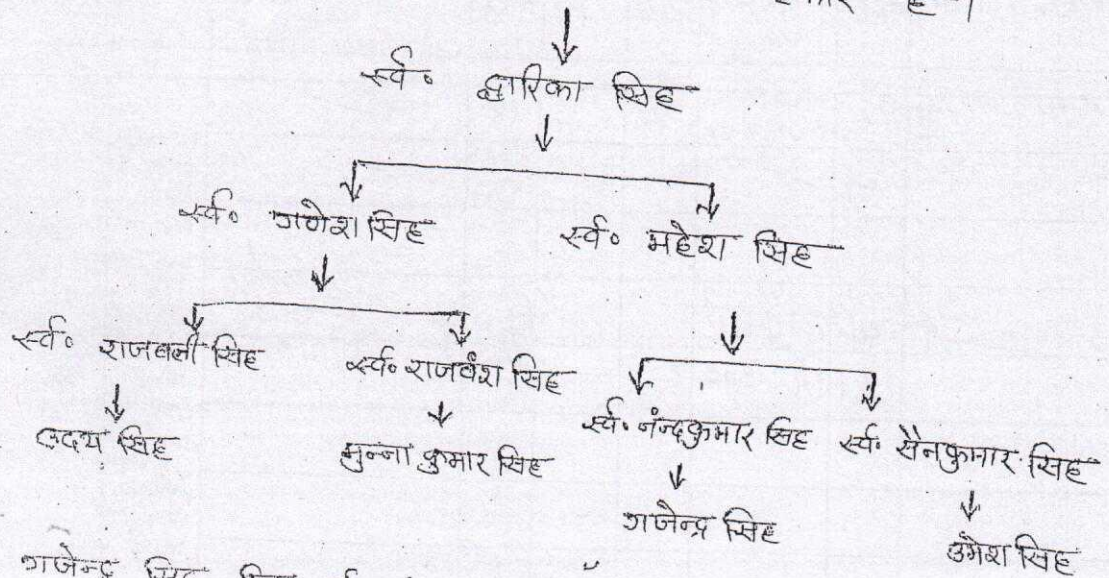
पत्रांक 3AM/M/763/018

वैशाखी

दिनांक 14/11/2018

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हारिका सिंह पिता- श्री

ग्राम- समझुता- पो० बनजारी- थाना- जिला- रोहतास के रहने वाले निवासी हैं, इनका वैशाखी इस प्रकार है।



गजेन्द्र सिंह- पिता- श्री० गणेश कुमार सिंह ग्राम- समझुता- मौजा- कल्याणपुर- थाना- नं० 611
खता संख्या 43 खेसरा नं० 25 रकबा 1.29 का हिस्सा रोड से नीचे दिया गया है।

उदय सिंह- पिता- श्री० राजवंशी सिंह- मुन्ना कुमार सिंह- पिता- श्री० राजवंश सिंह
उमेश सिंह- पिता- श्री० सैनकुमार सिंह- सभी ग्राम- समझुता- खता- नं० 43 खेसरा नं० 25

रकबा 96.75 डि० ने तिनो का हिस्सा आपसी सहमती से मिला हुआ है, जिसमें किसी तरिका रख-पि-सि देने में कोई अपत्ती नहीं है। इनलीग का जमिन पर उपरोक्त जानकारी मेरी नजर में सत्य एवं सही है।

मुखिया

आदर्श ग्राम पंचायत समझुता

LAND POSSESSION CERTIFICATE

L/00035
2019-2020

Place

Date ...

1. Certified that Sri. श्री. जल सिंह पिता - लक्ष्मी Date 01/01/2020
श्री. जल सिंह पिता - लक्ष्मी of Village श्री. जल सिंह पिता - लक्ष्मी
 District ९ P.O. श्री. जल सिंह पिता - लक्ष्मी

Whose Signature is attested below, owns exclusively
Acres of agriculturally Cultivating land under his possession as per land
chedule given below. The revenue of the land under reference has been paid
p to the year.

LAND SCHEDULE

louza & Thana No.	Tauzi No.	Khata No.	Khesara No.	Area.		Remarks.		E.I.W.
				Acre.	Dis.	N	S	
कल्याणपुल 611	258 III	43	25	1	29	258	310.370	
		258		4	34 1/2	कल्याण प्राप्त में अंकि श्री गौडा कल्याणपुल जागाबंदी के 258 राजाबंदी सिं का राजबंदा सिं पिता - गनेश सिं रुद्रांश समाधि का गनेश सिं पिता - दादा सिं के नाथ पल हज के जागाबंदी जागाबंदी रंदा के फसराबंदी श्री सोनिपुन हजबंदी अता 258 काबीर पमाण पह निगिदिगि जा समाधि जागाबंदी 19-20 फसराबंदी 1/1		
			TOTAL					

4215E
nature of the land owner

we Signature/attested

॥ कुमार सिंह

nature of,

O.I.C.O

Signature of Circle Officer

Office Seal

18.07.2019



18/02/17



34072 03/01/2022 (00000140000)
बिहार BIHAR

जमिंदार-चक्रवर्ती जी.
एच. वि. कृष्ण चक्रवर्ती AL 001885
दावाही देहरी

Deed No. 7 जहीर अंतारी
मुद्रांक विवेका
ला.नं०-55/96 डिहरी



Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Dehri On Sone
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 03/01/2022 by Uday Singh

A Stamp Duty of Rs. 31420/- and other Fees of Rs. 12190/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and the Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7 in Book No. 1, Volume No. 1 on pages from 60 to 69 and has been preserved in total 10 pages in C.D. No. 1 / Year 2022

दस्तावेज जाँचा मुल्यांकन मिलान किया
01/01/22 03/01/22

Date: 03/01/2022

प्रभारी लिपिक

En No: 16

प्रभारी लिपिक

Registering Officer, Dehri On Sone

Signature with Date
(Niraj Kumar)

लिज-डिड (Lease-Deed)

1. लीजकर्ता का नाम एवं पता :-

(1.) उदय सिंह, पिता-स्व० राजबली सिंह,

मो०-6206631658, आधार नं०-2644 7136 4445,

(2) मुन्ना कुमार सिंह, पिता-स्व० राजबंश सिंह,

मो०-9142768525, आधार नं०-8393 6161 6979,

(3) उमेश सिंह, पिता-स्व० शैल कुमार सिंह

मो०-8651765494, आधार नं०-3951 5768 1414

यम सिंह
01/22
ना मुयाद सिद्ध
01/22
महा सिंह
01/22

Sub District Registry Office, Dehri On Sone

Token Number 16	Reg. Year 2022	Serial Number 8	Deed Number 7
PresType	Name	Photo	Thumb Index Middle Ring Little
Lessee	Archana Kumari		    
Sig.	अर्चना कुमारी 03/11/22		
Lessee	Munna Kumar Singh		    
Sig.	मुन्ना कुमार सिंह 03/01/22		
Presented Uday Singh			    
By			
Sig.	उदय सिंह 03/01/22		
Lessor	Uday Singh		    
Sig.	उदय सिंह 03/01/22		
Lessor	Umesh Singh		    
Sig.	उमेश सिंह 03/11/22		
Identified Gajendra Singh			
By	गजेंद्र सिंह		
Sig.	03/11/22		

महोदय न्यायाधीश महोदय न्यायाधीश

महोदय न्यायाधीश महोदय न्यायाधीश

उदय सिंह
03/01/22

SCORE Ver.4.0

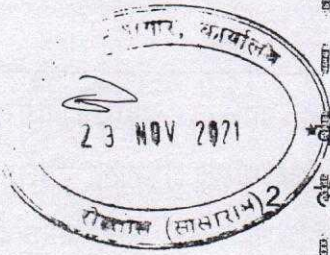
Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 3202sop020



34018 03/01/2022 1000
बिहार BIHAR

AL 001886



2

सभी निवासी-ग्राम-समहुता, पो0-बंजारी, थाना

बो जिला-रोहतास, राज्य-बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय।

लीजधारक का नाम वो पता :-

श्रीमति अर्चना कुमारी, उम्र-32 वर्ष 10 माह,

पति श्री विकास कुमार, निवासी-ग्राम-नवाडीह, पोस्ट-

अमझोर, थाना बो जिला-रोहतास, पिन कोड-821302,

राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय। मो0-8235745404,

लीधार नं0-3619 8317 1381

3. लेख्य का प्रकार :- लिजनामा मियाद 29 साल 11 माह
के लिए

4. जायदाद जरेसम्मन :- मो0-33,80,000/- (तेतीस लाख
अस्सी हजार) रुपया मात्र

5. सम्पति का विवरण :-

एराजी मवाजी 14.38 कठठा या 45 डी0

जो बराबर 1820 वर्ग मीटर व्यवसायीक भूमि रोड साईड

जमीन जो कि परती है। वाके मौजा-कल्याणपुर थाना



Page 2 of 7

मो0 जहीर अंतारी
मुक विप्रेता
मो0-56196 डिरी

लीज का कागज बिरका
लीज पर दिमा कागज

पत्र दिने 03/01/22

अपना 45 डी0 जमीन 29 वर्ष 11 माह के लिए

पढकर सही पाकर अपना अपना बकायामा / स्वयं दिने

अपना 45 डी0 जमीन 29 वर्ष 11 माह के लिए

पढकर सही पाकर अपना अपना बकायामा / स्वयं दिने

अपना 45 डी0 जमीन 29 वर्ष 11 माह के लिए

पढकर सही पाकर अपना अपना बकायामा / स्वयं दिने

अपना 45 डी0 जमीन 29 वर्ष 11 माह के लिए

पढकर सही पाकर अपना अपना बकायामा / स्वयं दिने

अपना 45 डी0 जमीन 29 वर्ष 11 माह के लिए

पढकर सही पाकर अपना अपना बकायामा / स्वयं दिने



35019 03/01/22
बिहार BIHAR

AL 001887

मोह जहीर अंसारी
फुलक विवेता
ला0 नं0-56/96 डिहरी



3

नं0-611, खाता नं0-43, प्लॉट नं0-25, थाना-रोहतास,
अचल-रोहतास, अवर निबंधन कार्यालय डिहरी, जिला-
रोहतास के वाके है, वो जमाबंदी नं0-258, नया जमाबंदी
भाग संख्या-5, पृष्ठ सं0-18 है।

चौहद्दी

उत्तर -जमीन मालिक (नीज) एवं रामवृक्ष राम,
दक्षिण-जमीन मालिक (नीज),
पूरब -जमीन मालिक (नीज),
पश्चिम-रोड़(एन0 एच0-2 सी0)

मवाजी 14.38 कट्ठा या 45 डी0 या

1820 वर्ग जो उनतीस वर्ष ग्यारह महीना के लिए लीज पर
लीजधारक को दिया जमीन की पैमाईश इस प्रकार है, उत्तर
एवं दक्षिण 35 मीटर वो पुरब एवं पश्चिम 52 मीटर है।

संदर्भ

चुंकि जायदाद खाना नं0-5 वाला लेख्यकारी
की खतियानी सम्पति है, जिसका सम्पति प्रथम पक्ष के दखल
एवं जमाबंदी में कायम है।

उमेश सिंह
03/01/22
मुन्ना गुमार सिंह
03/01/22



35020 08/11/22
बिहार BIHAR

AL 001888

4



यह कि एक हिस्सेदार गजेन्द्र सिंह पिता स्व० नन्द कुमार सिंह अपना हिस्सा पा चुके है। वह इस दस्तावेज में गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर अनापत्ति दे रहे है। उक्त भूमि उपरोक्त वर्णित तीन लीजकर्ता के हिस्से की जमीन है।

यह कि तालिका खाना नं०-5 वाला में वर्णित जायदाद प्रथम पक्ष जमीन मालिक की जायदाद है, जिसको लीजकर्ता प्रथम पक्ष के द्वारा खाना नं०-5 में वर्णित जायदाद को द्वितीय पक्ष/किरायेदार एक निश्चित अवधि उनद्बीस वर्ष ग्यारह महीना के लिए लेना चाहता है, जिसका किराया मो०-1,44,000/- वार्षिक किराया जिसका और मासिक किराया 12,000/-रुपया प्रतिमाह के हिसाब से लेने का प्रस्ताव प्रथम पक्ष/जमीन मालिक को दिये, और लीज की कुल शर्तों को दोनो पक्षों ने आपस में तय वो स्वीकार किया। लेहाजा जरूरत तहरीर में लिखने लीज दस्तावेज हाजा की है।



Page 4 of 7

श्री जहीर अलमारी
मुद्रांक विभाग
ला० नं०-56/98 डिहरी

उमेश सिंह
03/11/22

अपर निबन्धन
03/11/22
उमेश सिंह
03/11/22

लीज की शर्तें :-

यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पति खाना नं०-5 में दिया गया है कि किरायेदार/द्वितीय पक्ष एक निश्चित अवधि उनतीस वर्ष ग्यारह महीना के लिए जमीन मालिक/ प्रथम पक्ष लीज देने को स्वीकार व मंजूर किये।

यह कि जमीन मालिक/प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष/किरायेदार को उपरोक्त लीजशुदा जायदाद को लीज दस्तावेज की तिथि की द्वितीय पक्ष/किरायेदार को सुपुर्द कर दखल-कब्जा दे दिया है, जिसमें किरायेदार/द्वितीय पक्ष अपने इच्छानुसार अपने अनुकूल वास्ते(IOCL) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु पेट्रोल पम्प का कन्सट्रक्शन करके अपना कारोबार करेंगे, इसमें लेख्यकारी प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है वो ना होगी।

यह कि लीज शुदा आयदाद का किराया रजिस्ट्री के दिन से लागू होगा, जो कि उनतीस वर्ष ग्यारह माह तक यानि नवम्बर 2050 तक के लिए लागू माना जायेगा। यह कि लीज द्वारा जायदाद का मासिक किराया मो०- 12,000/-रुपया प्रतिमाह द्वितीय पक्ष/किरायेदार प्रथम पक्ष/जमीन मालिक को एक मुस्त माह के प्रथम सप्ताह तक अदाय कर देंगे।

यह कि द्वितीय पक्ष/किरायेदार लीज शुदा जायदाद को किसी भी प्रकार के व्यवसायिक(IOCL) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु पेट्रोल पम्प तथा इससे सम्बधित निर्माण कार्य हेतु व्यवहार में ला सकते हैं। कोई गैर कानूनी वस्तु का कारोबार नहीं करेंगे।

यह कि उपरोक्त लीज शुदा जायदाद पर द्वितीय पक्ष अपने इच्छानुसार वो वास्ते पेट्रोल पम्प हेतु सुविधानुसार कन्सट्रक्शन वर्क्स अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं। लीज



उमेश शिंदे
03/11/22
उमेश शिंदे
03/11/22

शुदा जायदाद को खाली करने के वक्त लीज शुदा जायदाद पर लगाये अस्थाई उपकरण जो भी द्वितीय पक्ष/किरायेदार लगाये है उसे हटा लेंगे।

यह कि कारोबार करने के लिए लीज शुदा जायदाद पर जो भी मकान, कार्यालय वो बिजली लाईन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष/किरायेदार करना चाहेंगे, अपने खर्च से करेंगे। इसके लिए विद्युत बोर्ड से अलग मीटर लेंगे, तथा बिजली बिल जो होगा उसे भुगतान करने के लिए द्वितीय पक्ष/किरायेदार ही एक मात्र, पायबंद माने जायेंगे वो खाली करने से पहले या तो बिजली कटवा लेंगे या स्थानांतरित करवा लेंगे।

यह कि लीज अवधि उनतीश वर्ष ग्यारह माह तक समाप्त होने पर किरायेदार/द्वितीय पक्ष एवं जमीन मालिक/प्रथम पक्ष आपसी सहमति से लीज की अवधि पुनः बढ़ाई जायेगी। यह कि लीजकर्ता प्रथम पक्ष जायदाद खाना नं0-5 की जमीन लीज अवधि के दौरान विक्रय करते है, तो पहला अधिकार लीज धारक द्वितीय पक्ष का होगा।

यह कि लीज धारक द्वितीय पक्ष को यह पुरा अधिकार होगा कि वो उपरोक्त जायदाद को सब लीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड(IOCCL) को करेंगे। लेख्यकारी प्रथम पक्ष के बिना किसी लिखित अनुमति से सब लीज या उपपट्टा कर सकते है।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने लीज अवधि के पहले न किसी दिगर शख्स को उक्त खेसरा की जमीन जरब्याना या हरने या बिक्रय पत्र नही किया है वो लीज के अवधि तक किसी दिगर शख्स को जरब्याना या रेहन या बिक्रय पत्र नही करेंगे।



उमेश सिंह
03/11/22

उमेश सिंह
03/11/22
03/11/22

अगर ऐसा किया हुआ पाया जायेगा, तो लेख्यकारी प्रथम पक्ष कानून के पायबंद होंगे वो माने जायेंगे।

यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष किरायेदार को अपने व्यवसाय/कारोबार को बढ़ाने के लिए वो करने के लिए जो भी कागजात उपलब्ध कराने का होगा, कागजात पर हस्ताक्षर करने का होगा, लेख्यकारी प्रथम पक्ष सहर्ष कर देंगे, इसमें किसी प्रकार का आना-कानी नहीं करेंगे, अगर करेंगे कानून के पायबंद समझे जायेंगे।

यह कि यदि लीजकर्ता एवं लीजधारक में से किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना वश मृत्यु हो जाता है, तो मृत्युपरांत उनके उत्तराधिकारी को उपरोक्त अधिकार प्राप्त होगा।

इन सभी शर्त के साथ सभी पक्षकार (जमीन मालिक एवं किरायेदार) लीज दस्तावेज हाजा के उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः पालन करने के लिए यह लीज बहक एक-दूसरे के बिना किसी दबाव वो धमकाव के अपने राजी वो खुशी से एवं लेख्यकारी प्रथम पक्ष के सहमति से लीज के मजमून वो शर्तों से पुरी तरह वाकिफ होकर लिख दिया वो हस्ताक्षर कर दिया, ताकि समय पर काम आवें।

गवाह :-

1. राजेश कुमार सिंह / नं. 3 हमार पिट
ग्राम खगड़वा पालमिला
शेखरा
2. मनिष कुमार सिंह
पिता - मुपेन्द्र सिंह
ग्राम - खगड़वा
पालमिला - शेखरा

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

अक्षय सिंह 03/01/22

कुमा कुमाट सिंह 03/01/22

उमेश सिंह 03/01/22

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर



तहरीर तारीख 03/01/2022

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I-A, No. '35'. '||' Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 31420/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper.	Rs. 4000/-
Amt. paid through Bank Challan	Rs. 39610/-

Registration Fee

A1	10140	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
TOTAL-									11140

LLR + Proc Fee Service Charge

LLR	550	
Proc. Fee	0	500
Total	550	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 12190

Date: 03/01/2022

Registering Officer
Dehri On Sone

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Dehri On Sone on Monday, 03rd January 2022 by Uday Singh Late Rajballi Singh by profession Agriculture. Status - Lessor

374/22
03/01/22

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 03/01/2022

Registering Officer
Dehri On Sone

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Gajendra Singh' age '45' Sex 'M', 'Nand Kumar Singh', resident of 'Vill-Samahuta, ps-Rohtas, dist-Rohtas'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 03/01/2022

Registering Officer
Dehri On Sone

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Dehri On Sone in Book 1 Volume No. 1 on pages on 60 -69, for the year 2022 and stored in CD volume No. CD-1 year 2022 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Scanned By.

Date : 03/01/2022

Registering Officer
Dehri On Sone

Token No. : 16 Year : 2022 S.No. : 8 SCORE Ver.4.1

Deed No. : d No. : 7